

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—लुहारिया तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:— श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—207/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री नारायण पिता मोहनलाल ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा के कायम मुकाम:—


1/1 श्री लक्ष्मण गोदपुत्र नारायण ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील
मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

बनाम

- 1—श्री रामेश्वर लाल पिता हीरा लाल ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 2—श्री काशीलाल पिता हीरालाल ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल
- 3—श्री सोहनलाल पिता हीरालाल ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल
- 4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान) ———प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री — एडवोकेट और प्रतिवादीगण
संख्या 1 से 3 की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के
आज दिनांक 22.6.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर
आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के
खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लुहारिया
पटवार हल्का लुहारिया तहसील मांडल में स्थित हाल आराजी नम्बर 2770 के उत्तरी
भू-भाग जिसका रकबा 6 बिस्वा आराजी संख्या 2769 से लगा होने से वादी को
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व
रेकार्ड में दर्ज करते हुये प्रतिवादी के खाते से कम करते हुये राजस्व नक्शे में
अभिलिखत की जायें। तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की
जारी की जाती है कि वह वादी के कब्जे काश्त व उपयोग—उपभोग में किसी प्रकार


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।



(सी.एल.शर्मा)

आर०ए०एस०

उपस्थण्ड अधिकारी,

मंडल जिला भीवाड़ा

आज दिनांक 22.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की



उपस्थण्ड अधिकारी,

मंडल जिला भीवाड़ा

